प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 25.07.2016 को राज्य के नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **एल.ई.डी. लाईट** – अधिकांश नगर पंचायतों में एल.ई.डी. लाइट लगाने का कार्य धीमी गति से हो रहा है। इस योजना पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जहॉ क्रय हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है वहॉ अग्रेतर कार्रवाई की जाय और जहॉ निविदा की प्रकिया प्रारंभ नहीं हुई है वहॉ 31.07.16 तक निविदा निकाल दिया जाय। इस सम्बन्ध में प्रशाखा–2 से संबंधित नगर पंचायतों को निदेश दिया जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष सचिव)

3. **शौचालय निर्माण** – कई नगर पंचायत के वार्डों में सर्वे का कार्य भी पूरा नहीं कराया गया है। वैसे नगर पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर सर्वे का कार्य पूरा कराया जाय तथा चिन्हित घरों के लाभुकों से फॉर्म भरवाकर शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय। जिन निकायों में लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है और प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है उसे भारत सरकार के पोर्टल पर वर्ष 2015–16 के लक्ष्य को पूर्ण कर 31 जुलाई, 16 तक अपलोड करें तथा 30 अगस्त,16 तक वर्ष 2016–17 के लक्ष्य के अनुसार प्रथम किश्त की राशि लाभुकों को भुगतान करें।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

4. **सबके लिए आवास योजना**– सभी नगर निकायों को बताया गया कि इस योजना के तहत HFAPOA के बिना भारत सरकार के द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। इस कार्य को करने हेतु सर्वप्रथम डिमाण्ड सर्वे किया जाना आवश्यक है सभी नगर पंचायतों को निदेश दिया जाता है कि अगस्त में व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर वार्ड सभा का आयोजन कराया जाय जिसमें सबके लिए आवास योजना के विभिन्न घटकों के लिए लाभुकों से आवेदन पत्र Form 4 A&B में प्राप्त किया जाय। वार्ड सभा का रोस्टर विभाग को 3 दिनों के अन्दर भेजा जाय तथा सारा काम पूरा कर HFAPOA तैयार कर 25 अगस्त तक विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

नगर पंचायतों में सबके लिए आवास योजना के तहत गृह निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है उनके लाभुकों के आवास निर्माण हेतु अगस्त,16 के दूसरे सप्ताह में एक साथ आधारशिला रखने का निर्णय लिया गया है इस कार्य हेतु निम्न निदेश दिया जाते हैं–

i. सभी लाभुकों का अभिलेख खोलकर भूमि का सत्यापन कराया जाय। लाभुकों से एकरारनामा कर कार्यादेश निर्गत कर दिया जाय।
ii. सभी लाभुकों का बैंक खाता खुलवाया जाय।
iii. लाभुकों के आधार संख्या को बैंक खाता से संबद्ध किया जाय।
iv. सभी लाभुकों के गृह निर्माण हेतु नींव की खुदाई करायी जाय तथा उसका G.O. Tagged फोटो को भारत सरकार के पोर्टल पर संबद्ध करा दिया जाय।

v. बैंक खाता खोलकर उसे बुडा में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

vi. इस योजना को आवास एवं शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय भारत सरकार के Public Financial Management System (PFMS) पर नगर निकाय के बैंक खाता एवं इस योजना के अधीन खोले गये लाभुकों के बैंक खाता को निबंधित (registered) करा दिया जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

6. **पाइप जलापूर्ति योजना**– नगर पंचायतों द्वारा जल पर्षद को राशि हस्तांतरित कर दिया जाय। जिस निकाय द्वारा राशि हस्तांतरित कर दी गई उसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र निकाय को भेज दिया जाय ताकि शेष राशि हस्तांतरित किया जा सके।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

7. **होल्डिंग टैक्स**– टैक्स की वसूली बहुत कम हो रही है जिसके कारण नगर पंचायतों में राजस्व की कमी हो रही है। जहॉ टैक्स का निर्धारण नहीं हुआ है वहॉ शीघ्र निर्धारण किया जाय और तत्काल निर्धारित न्यूनतम टैक्स 9 प्रतिशत की वसूली शीघ्र प्रारंभ कर दी जाय। जहॉ टैक्स निर्धारण कर विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता है उसके लिए प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजें। टैक्स वसूली नहीं किये जाने पर वेतन भुगतान भी रोका जा सकता है। वसूल की गई राशि को एम.आई.एस. पर प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

8. **अन्य कर**– अन्य करों की वसूली में भी तेजी लाया जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

9. **डोर–टू–डोर कचरा उठाव** – कुल 3320 वार्ड हैं जिसमें 2194 वार्ड में ही डोर–टू–डोर कचरा उठाव की जा रही है । अतः 15 अगस्त, 16 तक सभी वार्ड में शत–प्रतिशत उठाव सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

10. **सम्राट अशोक भवन (प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन)**– सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु शीघ्र जमीन का चयन कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जाय। जहॉ जमीन का चयन हो चुका है वहॉ निविदा की प्रकिया शुरू की जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

11. **मुख्यमंत्री शहरी नली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना**– सर्वे का कार्य पूरा कराकर प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी तथा सीडी विभाग को शीघ्र भेजें।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

12. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र** – स्वच्छता अनुदान योजना एवं अन्य सभी योजनाओं का जो भी पैसा निकाला गया है उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र भेजें अन्यथा पैसा रोक दिया जायेगा।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

13. अनुपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके प्रतिनिधि भी बैठक में भाग नहीं लिये हैं, को स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। 28/7/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4911 / न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 29/7/2016
प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4911 / न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 29/7/2016
प्रतिलिपि– सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/ विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/7/2016
प्रधान सचिव